

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-282 / 15
संस्थापित दिनांक-30.09.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।	
.....अभियोजन	
विरुद्ध	
1- जगभान सिंह पुत्र स्व श्री जशरथ सिंह उम्र 60 साल 2- मलखान सिंह पुत्र स्व. श्री जशरथ सिंह उम्र 55 साल 3- श्रीमती फूलकुंवरबाई पत्नी जगभान उम्र 55 साल 4- ब्रजपाल पुत्र मलखान उम्र 26 साल निवासीगण- ग्राम गोधन थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0	
.....आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 20.02.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34, 336/34, 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 06.02.2015 को शाम करीब 8 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादिया के घर के बाहर लोकस्थान पर फरियादिया हरनाम राजा को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी हरनाम की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी मलखान ने फरियादी हरनाम की तलवार की मूठ मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी ब्रजपाल ने उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक ढंग से कट्टे से हवाई फायर करके सार्वजनिक मानव जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न कारित किया तथा हरनाम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी/आहत, एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण जगभान सिंह, मलखान, श्रीमती फूलकुंवर बाई,

ब्रजपाल को भा.द.वि की धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया हरनामबाई ने अपने पिता रावराजा के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.02.2015 को सुबह 7-8 बजे की बात है उनका पालतु पिल्ला उसकी मां कुंतिया के साथ जगभान के घर के दरवाजे के पास बैठा था तो जगभान की पत्नी फूलकुंवर बाई ने पिल्ले को ईट से मारा उसका भाई प्रतिपाल गया और फूलकुंवर के हाथ से ईट छुड़ाकर फेंक दी व पिल्ला को उठाकर अपने घर ले आया, इतने में फूलकुंवर, प्रतिपाल उसे गाली देने लगी, लेकिन उन्होंने उस दिन रिपोर्ट नहीं की। इसी बात को लेकर दिनांक 06.02.2015 को शाम करीब 8 बजे जगभान, तलवार, मलखान, तलवार, ब्रजपाल, कट्टा हाथ में लिये थे और उनके घर में घुसना चाह रहे थे उसने नहीं घुसने दिया और इनको धकियाते हुए भाग रही थी, तभी उसके पिताजी आ गए और धकियाये में मलखान की तलवार की मूठ हरनाम के माथे में लगी मूंदी चोट आई, वह चिल्लाई तो छोटा भाई राजपाल आ गया, झगडा बढ़ता देख उसके अपने पिता व भाई राजपाल को भीतर करके दरवाजा बंद कर दिया और वह बाहर दरवाजे पर खड़ी रही। उसने देखा ब्रजपाल ने जगभान के घर की छत पर चढ़कर कट्टे से हवाई फायर किया वह डर के कारण घर के अन्दर आ गई और बाहर खड़े मलखान, जगभान, ब्रजपाल, और फूलकुंवर चारों कह रहे थे कि कहां से रिपोर्ट करने जाओगे, उनके खिलाफ रिपोर्ट की तो सभी लोगों को काट-काटकर फेंक देगे। डर के कारण घटना वाले दिन रिपोर्ट नहीं की। पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.02.2015 को शाम करीब 8 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादिया के घर के बाहर लोकस्थान पर फरियादिया हरनाम राजा को सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी ब्रजपाल ने उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक ढंग से कट्टे से हवाई फायर करके सार्वजनिक मानव जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न कारित ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी श्रीमती हरनाम राजा अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह सभी आरोपीगण को जानती है। घटना करीब एक साल पहले की होकर शाम 7-8 बजे की है। घटना दिनांक को हमारा पालतू कुत्ता जगभान के घर के पास बैठा था तो जगभान की पत्नी फूलकुंवर बाई ने पिल्ले को मारकर भगा दिया था, जिसपर उसका भाई प्रतिपाल फूलकुंवर के पास गया और कहा कि पिल्ले को क्यों मारा, तो फूल कुंवर बाई उनसे झगडा करने लगी। इसी बात को लेकर अगले दिन जगभान, मलखान, ब्रजपाल एवं फूलकुंवर बाई हमारे घर के बाहर आकर चिल्ला रहे थे, चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई राजपाल और पिता आ गये थे। झगडा न हो इसलिये वे लोग घर के अन्दर ही रहे। वे आरोपीगण से डर गये थे। इसी बात की मेरे द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उनकी चोटों का मेडिकल कराया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी जगभान और मलखान तलवार लिये थे, ब्रजपाल हाथ में कट्टा लिये था। इस बात से इंकार किया कि सभी लोग मेरे घर में घुसना चाह रहे थे। इस बात से इंकार किया कि मेरे पिताजी को मलखान द्वारा तलवार की नोक माथे में मारी। इस बात से इंकार किया कि मैंने देखा कि राजपाल छतपर चढ़कर कट्टे से हवाई फायर किया। साक्षिया को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट व पुलिस कथन न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है तथा अभियोजन के सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रही हूँ।

08— रावराजा अ0सा02, प्रतिपाल अ0सा03, ने बताया है कि आरोपीगण के कुत्ते को लेकर फूलकुंवर बाई की आरोपीगण से झगडा हो गया था। इसके अलावा उक्त साक्षीगण ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि आरोपी जगभान व मलखान तलवार लिये थे और ब्रजपाल हाथ में कट्टा लिये था। तथा इस बात से भी इंकार किया कि धक्का मुक्की होने से तलवार की नोक हरनाम राजा के माथे पर लग गई थी।

09— इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी हरनाम राजा जोकि प्रकरण

में स्वयं फरियादी/आहत है एवं चक्षुदर्शी साक्षी रावराजा, प्रतिपाल, ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण से झगडा होने की बात बताई किन्तु इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण तलवार और कट्टा लिये थे। इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ब्रजपाल ने छत पर चढ़कर कट्टे से हवाई फायर किया। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी/आहत हरनाम राजा एवं चक्षुदर्शी साक्षी रावराजा, प्रतिपाल ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया केवल उनके न्यायालयीन कथनों में यह बताया कि आरोपीगण से झगडा हो गया था।

10— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.02.2015 को शाम करीब 8 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादिया के घर के बाहर लोकस्थान पर फरियादिया हरनाम राजा को सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी ब्रजपाल ने उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक ढंग से कट्टे से हवाई फायर करके सार्वजनिक मानव जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न कारित । अतः अभियुक्तगण **जगभान सिंह, मलखान, श्रीमती फूलकुंअर बाई, ब्रजपाल** को भा.द.वि. की धारा 336/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

13— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0